भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

13.08.2015 को राज्य सभा में

पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या : *268.

परमाणु विद्युत-क्षेत्र में विदेशी निवेश

*268. **डा. कनवर दीप सिंह :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या यह सच है कि वर्ष 2005 में किये गए परमाणु-करार की एक मुख्य विशेषता भारत के परमाणु विद्युत-क्षेत्र में भारी विदेशी निवेश भी थी; और**

(ख) **यदि हाँ, तो क्या अमरीका, फ्रांस, जापान और रूस जैसे देशों द्वारा भारतीय परमाणु विद्युत क्षेत्र में वांछित सीमा तक निवेश किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?**

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) **जी, नहीं। नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों में सहकार के लिए अक्तूबर, 2008 में भारत-संयुक्त राज्य अमरीका के बीच हस्ताक्षरित करार के अन्तर्गत, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी, जिससे हमें वर्ष 2032 तक 63,000 मेगावाट नाभिकीय विद्युत उत्पादन के अपने लक्ष्य के अधिक निकट पहुँचने में मदद मिली।**

(ख) **देश में बड़ी क्षमता वाले साधारण जल रिएक्टरों (एलडब्ल्युआर्ज़) को स्थापित करने संबंधी तकनीकी-वाणिज्यिक पहलुओं के बारे में, फ्रांस की मैसर्स अरेवा, संयुक्त राज्य अमरीका की मैसर्स वेस्टिंगहाउस इलैक्ट्रिक कम्पनी तथा जीई हिताची न्यूक्लियर एनर्जी के साथ बातचीत शुरु की गई है। सरकार ने, तमिलनाडु में, रूस के तकनीकी सहयोग से, कुडनकुलम यूनिट 3 तथा 4 की स्थापना के लिए, प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय संस्वीकृति, मार्च, 2013 में प्रदान कर दी है। जापान के साथ कोई करार नहीं किया गया है।**

* * * * * *